

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0-05-05/2010 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 साजन कुमार,  
चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहब्बतनाथ के मठिया (एकमा) सारण, छपरा के विरुद्ध सिवान  
मोफसील थाना कांड सं0 112/10 दिनांक 20.05.10 के तहत मुकदमा दर्ज होने तथा हिरासत में लिए जाने के  
कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 1036(9) दिनांक 03.09.10 द्वारा दिनांक 20.05.10 के प्रभाव से निलंबित  
किया गया था।

माननीय सत्र न्यायालय सिवान द्वारा दिनांक 22.06.2010 को पारित आदेश के आलोक में जमानत  
पर रिहा होने के उपरांत डा0 साजन कुमार द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  
मोहब्बतनाथ के मठिया, एकमा (सारण) में योगदान समर्पित किया गया है। अतः बिहार सरकारी सेवाक  
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(3)(i) के तहत डा0 साजन कुमार को तत्काल  
प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकार किया जाता है।

2. डा0 साजन कुमार, सारण के समक्ष अपना योगदान समर्पित करेंगे। सिविल सर्जन, सारण  
आवश्यकतानुसार डा0 साजन कुमार का पदस्थापन जिले के किसी अस्पताल में करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
(नागेन्द्र प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 183 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 4/03/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय उप- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा/सिविल सर्जन सारण/  
कोषागार पदाधिकारी सारण/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 साजन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहब्बतनाथ के  
मठिया (एकमा) सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त  
सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना के निजी सहायक /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,4,8,10, एवं  
17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ  
प्रेषित।

गाम्.३  
१३.१.१५  
सरकार के अवर सचिव,